संख्या-200/2020/3015/22-2-2019-17(214)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 जून, 2020***

विषय:-सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री डोरीलाल, निवासी जनपद-मुरादाबाद, उ0प्र0 हाल जनपद-ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-19-09-2019) दिनांक-03-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री डोरीलाल, ग्रम-कंजरी सराय, थाना-कोतवाली, जनपद-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हाल पता-सुभाष कालोनी, थाना-रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड का रहने वाला है। बन्दी ने नौकरी को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.07.1978 को राजाराम की चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/78 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 24.05.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.1993 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2019 तक 23 वर्ष 10 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 45 वर्ष 05 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने नौकरी को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.07.1978 को राजाराम नामक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी गृह अवकाश से 02 वर्ष 01 माह 23 दिन विलम्ब से गिरफ्तार कर कारागार में दाखिल किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री डोरीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-15951) पुत्र श्री डोरीलाल, निवासी जनपद-मुरादाबाद, उ0प्र0 हाल जनपद-ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-200/2020/3015(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मुरादाबाद, उ0प्र0/ ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-200/2020/3015/22-2-2019-17(214)/2012

दिनांक 18 जून, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-15951) पुत्र श्री डोरीलाल, ग्रम-कंजरी सराय, थाना-कोतवाली, जनपद-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हाल पता-सुभाष कालोनी, थाना-रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड का रहने वाला है। बन्दी ने नौकरी को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.07.1978 को राजाराम की चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/78 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 24.05.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.1993 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2019 तक 23 वर्ष 10 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 45 वर्ष 05 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने नौकरी को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.07.1978 को राजाराम नामक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी गृह अवकाश से 02 वर्ष 01 माह 23 दिन विलम्ब से गिरफ्तार कर कारागार में दाखिल किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री डोरीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in